कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 468/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं **प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत** कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

दिनांक – 27.12.2025

मिशन शक्ति 5.0 के तहत मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वसूली वारंट/एनबीडब्ल्यू के क्रम में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व विवरण:-

माननीय न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा **वाद संख्या 62/2018 (मीरा बनाम मिथिलेश)** अंतर्गत धारा **125 सीआरपीसी** में अभियुक्त **अजय उर्फ मिथिलेश पुत्र स्व0 कमला प्रसाद, निवासी सेल्हरापट्टी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़** को प्रथम पक्ष को **₹3500/- प्रति माह भरण-पोषण राशि** दिए जाने का आदेश निर्गत किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन न किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा **128 सीआरपीसी** के अंतर्गत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु **वसूली वारंट / एनबीडब्ल्यू** निर्गत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष **श्री देवेन्द्र नाथ दूबे** के नेतृत्व में *मिशन शक्ति* अभियान के तहत दिनांक **27.12.2025** को उपनिरीक्षक **मयंक नारायण सिंह** द्वारा पुलिस टीम के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। दबिश के दौरान अभियुक्त **अजय उर्फ मिथिलेश** अपने निवास पर मौजूद मिला, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट से अवगत कराते हुए समय करीब **10:25 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. अजय उर्फ मिथिलेश पुत्र स्व0 कमला प्रसाद, निवासी – सेल्हरापट्टी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 मयंक नारायण सिंह, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
03. हे0का0 मनोज तिवारी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
04. का0 मो0 रिजवान, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
05. का0 उमेश कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
06. म0का0 पिंकी पाण्डेय, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
07. म0का0 अभिलाषा द्विवेदी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति
थाना – सरायमीर, जनपद आजमगढ़
दिनांक – 27.12.2025

चोरी के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार, 01 जोड़ी पायल व ₹1000 नगद बरामद

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **09.10.2025** को श्रीमती **गुलशन बानो पत्नी अफताब आलम उर्फ चुन्नु**, निवासी ग्राम **नंदाव**, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई थी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर अटैची में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं ₹3000/- नगद चोरी कर लिए गए हैं। तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर **मु0अ0सं0 418/25 धारा 305(क), 331(4) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण:-

आज दिनांक **27.12.2025** को उपनिरीक्षक **जयशंकर प्रसाद राठौर** मय हमराह पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान **कमालपुर मोड़ (नरदह पुलिया के पास)** मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को घेरकर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम **नदीम पुत्र हैदर अली**, निवासी ग्राम **कुजियारी**, थाना **निजामाबाद**, जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से **01 जोड़ी चांदी की पायल** तथा **₹1000/- नगद** बरामद हुआ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने दिनांक **06.10.2025** की रात्रि में ग्राम नंदाव में बंद मकान में घुसकर चोरी की थी तथा शेष बचे जेवरात एवं नगदी को बेचने हेतु जा रहा था। अभियुक्त को समय करीब **09:00 बजे** हिरासत पुलिस में लेते हुए **मु0अ0सं0 418/25 धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बीएनएस** में गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. नदीम पुत्र हैदर अली, निवासी – ग्राम कुजियारी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

बरामदगी:-

01. 01 जोड़ी चांदी की पायल
02. ₹1000/- नगद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 418/25 धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बीएनएस – थाना सरायमीर
2. मु0अ0सं0 222/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट – थाना सरायमीर
3. मु0अ0सं0 387/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम – थाना सरायमीर
4. मु0अ0सं0 89/2013 धारा 109/41 द0प्र0सं0 – थाना जीआरपी, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 जयशंकर प्रसाद राठौर,थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
02. हे0का0 तनवीर अहमद,थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
03. का0 संदीप लल्लन गुप्ता,थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्रॉड पीड़िता को ₹20,000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई

पूर्व की घटना:-

दिनांक **03.12.2025** को आवेदिका **म0का0 रूपा सरोज**, थाना **तहबरपुर**, जनपद आजमगढ़ के साथ **₹20,000/- का साइबर फ्रॉड** हुआ था। आवेदिका द्वारा तत्परता दिखाते हुए **Cyber Crime Portal** पर तत्काल शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित धनराशि समय रहते **होल्ड (Freeze)** करा दी गई।

धनराशि वापसी का विवरण:-

आवेदिका की साइबर शिकायत की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ठगी की गई धनराशि **बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाता संख्या** में ट्रांसफर हुई थी। कुल **₹20,000/- की राशि होल्ड** पाई गई। साइबर पुलिस टीम द्वारा संबंधित बैंक मैनेजर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके उपरांत होल्ड की गई पूरी **₹20,000/- की धनराशि आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।**

साइबर पुलिस टीम:-

➡ उ0नि0 **मानवेन्द्र प्रताप सिंह**, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

➡ कम्प्यूटर ऑपरेटर **वीरेन्द्र कुमार सरोज**, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

आमजन हेतु साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय-

➡ किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर OTP, बैंक विवरण या UPI पिन साझा न करें।

➡ ऑनलाइन लेन-देन के दौरान केवल विश्वसनीय वेबसाइट/ऐप का ही प्रयोग करें।

➡ साइबर ठगी होने पर तुरंत **1930 हेल्पलाइन** पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

➡ समय पर की गई शिकायत से ठगी की राशि को होल्ड कर वापस पाने की संभावना बढ़ जाती है।

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराधों से सतर्क रहें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

प्रेस नोट, दिनांक- 27.12.2025

थाना–निजामाबाद जनपद आज़मगढ़

पुलिस मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज घायल/गिरफ्तार

घायल अभियुक्त के कब्जे से लगभग ₹ 1.25 लाख रूपये मूल्य के ठगी किये गये जेवरात व जेवरात विक्रय का 25,000 रूपये नगद तथा अवैध असलहा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 27.12.2025 को थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए थाना क्षेत्र में हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त **कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा नि0 सोनारी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर** को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्त के कब्जे से **अवैध तमंचा खोखा कारतूस, जिन्दा कारतूस घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बजाज प्लेटिना बिना नम्बर प्लेट तथा लगभग ₹ 125000 रूपये मूल्य का ठगी किया गया जेवरात व जेवरात विक्रय का 25000 रूपये नगद, व एक अदद मोबाईल एण्ड्रायड** बरामद हुआ

1. घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **18.12.2025** को थाना निजामाबाद अन्तर्गत **ग्राम बङहरिया** में **पूजा पाठ** कराने के बहाने महेन्द्र मौर्य के घर के औरतो से ठगी कर सोने के जेवरात (दो झुमका , एक मंगलसूत्र , एक जोडी बाली) लेकर चले जाना के सम्बंध में घटित हुई थी । इस संबंध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 412/25, धारा 318(4) BNS पंजीकृत** हुआ था।

जांच में नाम प्रकाश में आए आरोपी:

1. कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा नि0 सोनारी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

2. मुठभेड़ व गिरफ्तारी का विवरण

➡ दिनांक 27.12.2025 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा नि0 सोनारी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर **बङगांव नहर पुलिया पर** जेवरात बेचने हेतु व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है ताकि पूरे जेवरात बेच सके।

➡पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर आत्मसमर्पण हेतु कहा गया, जिस पर आरोपी कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे पकड़ लिया गया। समय लगभग 05.55 बजे, घायल आरोपी को पुलिस टीम द्वारा तत्काल CHC रानी की सराय उपचार हेतु भेजा गया ।

3. बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे व निशानदेही से निम्न वस्तुएँ बरामदः

01. अवैध शस्त्र
02. एक अदद तमंचा .315 बोर
03. एक जीवित कारतूस .315 बोर
04. एक खोखा कारतूस .315 बोर
05. ठगी का जेवरात (एक मंगल सूत्र, एक लाकेट , एक जोडी झुमका (कीमत लगभग 1.25 लाख रूपयें व 25000 रूपये जेवरात विक्री का नगद)
06. 01 मोटरसाइकिल

4. पूछताछ विवरण/अपराध का तरीका (Modus Operandi)

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू शातिर किस्म का टप्पेबाज है, जो पूजा-पाठ के बहाने महिलाओं को अपने जाल में फँसाता था। वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वयं को साधु/पंडित बताकर घरों में प्रवेश करता और किसी अनिष्ट या दोष का भय दिखाकर महिलाओं का विश्वास जीत लेता था।

पूजा के नाम पर वह महिलाओं से उनके कीमती सोने के जेवरात मंगवाकर मंत्र पढ़ने का नाटक करता और मौका पाकर जेवरात लेकर फरार हो जाता था। बाद में वह जेवरात बेचकर पैसा प्राप्त करता और स्थान बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास करता था।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।

5. अभियोग पंजीकरण

मु0अ0सं0- 416/25 धारा 109 BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 412/25 धारा 318(4),317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

07.गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह , व0उ0नि0 सविन्द्र राय , उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा , उ0नि0 दिलीप आनन्द , हे0का0 धर्मेन्द्र यादव , हे0का0 जगदीश सोनकर , हे0का0 अतेन्द्र गौतम , म0का0 गरिमा सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

प्रेस नोट

दिनांक – 27.12.2025

जनपद – आजमगढ़

रैनबो नेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने बच्चों को आगे बढ़ने हेतु किया प्रेरित

आज दिनांक ***27.12.2025*** को थाना ***बिलरियागंज*** क्षेत्रान्तर्गत स्थित ***रैनबो नेशनल स्कूल*** के वार्षिक समारोह में ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार*** मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने विद्यालय के छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ***अनुशासन, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच*** ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने, असफलता से सीख लेने तथा कभी भी हिम्मत न हारने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी यदि समय का सदुपयोग, मोबाइल व इंटरनेट का सीमित और सुरक्षित उपयोग तथा माता-पिता व शिक्षकों के मार्गदर्शन का सम्मान करेगा, तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

साथ ही उन्होंने बच्चों को ***मिशन शक्ति*** के तहत आत्म-सुरक्षा के प्रति सजग रहने, अच्छे संस्कार अपनाने एवं समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। **साइबर फ्रॉड** से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बच्चों को किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज से सावधान रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर ***1930 साइबर हेल्पलाइन**, **112 आपातकालीन सेवा*** और ***1090 महिला हेल्पलाइन*** का उपयोग करने की जानकारी दी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि ***आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं,*** और यदि वे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो समाज और देश स्वतः सशक्त बनेगा।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन द्वारा मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया गया तथा समारोह हर्षोल्लास व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

उत्तर प्रदेश पुलिस